राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऍं
क्रमांक – एफ 7(18)प्रशि./आईसीडीएस/08/3/1534 जयपुर, दिनांक 5-5-09

आदेश

किसी राष्ट्र के पूर्ण विकसित एवं सभ्य होने की प्रथम सीढ़ी समस्त नागरिकों के लिए सर्व शिक्षा है। संपूर्ण देश के साथ–साथ राजस्थान राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने समस्त बालकों का विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृतसंकल्प है। इस दृष्टि से समेकित बाल विकास सेवाऍं विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3 से 6 वर्ष तक बच्चों को प्रारम्भिक शालापूर्व शिक्षा प्रदान करना आईसीडीएस की प्रमुख सेवाओं में से एक सेवा है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन खेल–खेल एवं बातचीत के माध्यम से शालापूर्व शिक्षा देने का उद्देश्य बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास तो है ही, बच्चों में नियमित विद्यालय जाने की आदत का विकास करना तथा पढ़ने के प्रति ललक और रूचि का निर्माण करना भी है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर आ रहे बच्चे विद्यालय प्रवेश की आयु प्राप्ति पर विद्यालय में नामांकित हो नियमित अध्ययन प्रारम्भ कर दें, यह आंगनबाड़ी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

अतः आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थित हो रहे बालकों के विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन एवं नामांकित बच्चों के विद्यालय में ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त जिम्मेदारी का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने की दृष्टि से आंगनबाड़ी केन्द्रों से निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना किया जाना सुनिश्चित करेंगे :–

1. विद्यालयों में नये सत्र में प्रवेश प्रारम्भ होने पर 6 वर्ष पूर्ण करने वाले समस्त बालक व बालिकाओं को जो आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो, उन समस्त बच्चों की सूची बनाएगें।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस प्रकार के समस्त बालक–बालिकाओं के अभिभावकों से संपर्क कर इनको विद्यालय में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करेंगी।
3. बालक–बालिकाओं को प्रवेश दिलवाकर वह CDPO को प्रमाण पत्र देगी कि "प्रमाणित किया जाता है कि उसके आंगनबाड़ी केन्द्र परिक्षेत्र में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले .... (बालक–बालिकाओं की कुल संख्या) बालक/बालिकाओं में से .... को विद्यालय में नामांकित करवा दिया है।

दिनांक : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम ....

4. आंगनबाड़ी केन्द्र से विद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने वाले बच्चों की केन्द्र से विदाई एवं विद्यालय में प्रवेश का कार्यक्रम सुनियोजित एवं उत्साहपूर्वक सम्पन्न करेंगे। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
5. परियेाजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र से विद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने वाले बच्चों की सूची संबंधित विद्यालय को प्रदान कर दी जावें तथा परियोजना क्षेत्र की एक संकलित सूची ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दी जावें।
6. आंगनबाडी केन्द्र से कितने बालक–बालिकाओं से विद्यालय में नामांकित कराकर स्थानान्तरित किया गया है, प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र की यह सूचना परियोजना स्तर पर एकत्रित कर समस्त परियोजना अधिकारी उप निदेशक कार्यालय के माध्यम से केन्द्रवार संख्या जुलाई, अगस्त व सितम्बर माह के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लिया जावेगा।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक – एफ 7(18)प्रशि./आईसीडीएस/08/7155-077 जयपुर, दिनांक 5.5.09

प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदया।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (महिला अधिकारिता एवं कल्याण)।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस।
7. समस्त उप निदेशक, आईसीडीएस।
8. समस्त बाल विकास परियेाजना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को उक्त आदेशों से अवगत कराया जाना तथा पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित पत्रावली।
10. प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि इसे वेब साइट पर दें।

अतिरिक्त निदेशक (शिशु)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर